भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 718
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन औषधि केंद्रों के उद्देश्य

718. श्री दिलीप शइकीयाः
श्री लुम्बा रामः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री जन औषधि केंद्रों की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) जन औषधि केंद्रों की स्थापना करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;
(ग) उन बीमारियों का प्रकार क्या है, जिनकी दवाइयां प्रधान मंत्री जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध हैं और देश के गरीब परिवारों को किफायती दाम पर उपलब्ध दवाओं के नाम क्या है;
(घ) पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य आकांक्षी जिलों सहित देश में विगत दस वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या में हुई राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार वृद्धि क्या है;
(ङ) क्या सरकार का भविष्य में जन औषधि केंद्रों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): सरकार ने सभी को किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, देश भर में जन औषधि केंद्र के नाम से समर्पित आउटलेट खोले गए हैं, जहाँ ब्रांडेड दवाओं की तुलना में लगभग 50% से 80% किफायती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत 2,047 दवाएं और 300 सर्जिकल सामग्रियां, चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं और उपकरण योजना उत्पाद टोकरी के अंतर्गत हैं, जिसमें सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह जैसे कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, संक्रामक-रोधी, एलर्जी-रोधी और गैस्ट्रो-आंत्र दवाएं और न्यूट्रास्यूटिकल्स शामिल हैं और इनकी सूची भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो की वेबसाइट (https://janaushadhi.gov.in/productportfolio/ProductmrpList) पर उपलब्ध है।

सभी जन औषधि केंद्र मालिक अपनी मासिक खरीद पर 20% की दर से मासिक अधिकतम सीमा 20,000 रुपये तक के प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि उन्होंने विनिर्दिष्ट दवाओं का स्टॉक बनाए रखने जैसी कुछ शर्तें पूरी की हों। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में खोले गए आउटलेटों या महिला उद्यमियों, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा खोले गए आउटलेटों को फर्नीचर, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर और अन्य सामान के लिए सहायता के रूप में 2 लाख रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली दवाएं मानकों को पूरा करती हैं, निम्न यथा विनिर्दिष्ट कड़े उपाय किए गए हैं:

(i) दवाइयों की खरीद केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन-उत्तम विनिर्माण पद्धति (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से की जाती हैं।

(ii) योजना के तहत आपूर्ति की जाने वाली दवाओं के प्रत्येक बैच का परीक्षण राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है और गुणवत्ता परीक्षण में सफल होने के बाद ही दवाएं जन औषधि केंद्रों को भेजी जाती हैं।

(iii) विक्रेताओं की सुविधाओं का गुणवत्ता ऑडिट नियमित रूप से भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो द्वारा किया जाता है।

कोई भी व्यक्ति जिसके पास डी. फार्मा या बी. फार्मा की योग्यता हो, स्वयं या कोई व्यक्ति या संगठन जिसने संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से औषधि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फार्मासिस्ट के रूप में ऐसी योग्यता को नियोजित किया हो, जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्र है। ऐसे आउटलेट खोलने के लिए आवेदन करने की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं:

(i) न्यूनतम 120 वर्ग फीट स्थान;
(ii) संबंधित राज्य फार्मेसी परिषद के साथ फार्मासिस्ट का पंजीकरण; और
(iii) दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित आवेदकों के संबंध में, संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र/प्रमाण को एक वचनबद्धता के साथ प्रस्तुत करना।

(घ): इस योजना के तहत अब तक कुल 15,000 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों में 351 केंद्र शामिल हैं। राज्य-वार और केंद्र शासित प्रदेश-वार तथा वित्तीय वर्ष-वार खोले गए केंद्रों की संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ङ) और (च): सरकार ने दिनांक 31.3.2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है।

<u>अनुलग्नक</u>

जन औषधि केंद्र के उद्देश्यों के संबंध में श्री दिलीप शइकीया, श्री लुम्बा राम और श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 07.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 718 के भाग (घ) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य-वार और केंद्र शासित प्रदेश-वार तथा वित्तीय वर्ष-वार खोले गए जन औषधि केंद्रों (जेएके) की संख्या

क्रम सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25 (31.01.2025 तक)	दिनांक 31.1.2025 तक खोले गए जेएके की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	2	0	0	7	0	0	0	9
2	आंध्र प्रदेश	0	0	16	33	16	6	8	5	16	143	35	278
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	12	9	0	6	0	0	1	2	4	34
4	असम	0	0	10	13	17	16	11	15	23	21	44	170
5	बिहार	0	1	2	78	40	28	61	61	85	197	247	800
6	चंडीगढ़	0	0	1	0	1	1	1	0	2	3	1	11
7	छत्तीसगढ	0	71	19	16	6	6	16	12	6	34	84	270
8	दिल्ली	0	4	4	22	34	63	149	81	14	60	58	492
9	गोवा	0	0	0	0	8	0	1	1	1	3	1	15
10	गुजरात	0	2	55	110	102	59	63	41	17	154	154	757
11	हरियाणा	1	2	8	37	35	25	34	37	37	94	96	406
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	9	9	9	6	6	3	11	12	72
13	जम्मू-कश्मीर	3	0	4	8	20	36	5	38	95	72	35	317
14	झारखंड	0	0	7	22	9	13	5	9	10	28	39	148
15	कर्नाटक	0	1	19	206	152	144	239	97	115	165	279	1,417
16	केरल	0	3	127	125	112	94	225	246	19	50	524	1,525

17	लद्दाख	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
19	मध्य प्रदेश	0	1	15	29	61	52	42	23	37	110	172	542
20	महाराष्ट्र	1	9	33	106	99	104	97	49	36	93	84	711
21	मणिपुर	0	0	0	28	0	0	1	3	3	11	10	56
22	मेघालय	0	0	0	1	0	8	5	1	3	1	6	25
23	मिजोरम	0	0	0	3	3	6	0	0	0	0	3	15
24	नागालैंड	0	0	11	0	3	1	0	4	1	0	2	22
25	ओडिशा	1	0	3	31	63	66	74	88	55	114	178	682
26	पुदुचेरी	0	0	0	11	3	2	0	3	1	6	7	33
27	पंजाब	0	2	1	41	56	60	84	29	15	64	121	491
28	राजस्थान	0	1	8	30	21	16	16	29	16	138	206	481
29	सिक्किम	0	0	0	2	0	0	1	0	1	3	5	12
30	तमिलनाडु	0	0	25	202	161	93	155	93	54	187	387	1,357
31	तेलंगाना	0	1	10	33	26	14	26	22	19	21	27	199
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	7	5	6	12	5	0	2	2	39
33	त्रिपुरा	3	3	1	13	2	1	0	0	1	0	4	29
34	उत्तर प्रदेश	1	1	62	244	267	119	185	135	199	693	738	2,644
35	उत्तराखंड	0	0	15	61	64	31	24	15	7	35	59	311
36	पश्चिम बंगाल	0	0	3	39	33	33	36	37	47	140	259	627
कुल		**10**	**102**	**472**	**1,569**	**1,430**	**1,119**	**1,582**	**1,192**	**939**	**2,656**	**3,883**	**15,000**

*****